2012: **CGHC**:6406-**DB**
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

मान‍नीय श्री आई. एम. कुद्दूसी एवं
मान‍नीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्तिगण,

रिट अपील क्रमांक 53/2007

अपीलार्थीगण — उच्च न्यायालय, छ.ग. एवं एक अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण — अवनीश ज्योतिषी एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(निर्णय हेतु विचारार्थ)

सही/-
न्यायाधीश
19.03.2012

मान‍नीय न्यायमूर्ति श्री जी. मिन्हाजुद्दीन,
मै सहमत हूँ |

सही/-
जी. मिन्हाजुद्दीन
न्यायाधीश

(दिनांक 20/03/2012 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें)

सही/-
डॉ. आई. एम. कुद्दूसी
न्यायाधीश

2012: **CGHC**:6406-**DB**

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ
माननीय श्री आई. एम. कुद्दूसी एवं
माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्तिगण,

रिट अपील क्रमांक 53/2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण उच्च न्यायालय, छ.ग. एवं एक अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण अवनीश ज्योतिषी एवं अन्य

उपस्थित:-

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से	:	श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से	:	श्री वी. शर्मा, अधिवक्ता।
अन्य प्रत्यर्थीगण की ओर से	:	कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय
(दिनांक 20.03.2012 को पारित)

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. आई.एम. कुद्दूसी, द्वारा निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया :-

1. अपीलार्थियों द्वारा दायर इस अपील में, विद्वान् न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका क्रमांक 947/2006 में दिनांक 11.12.2006 को पारित आदेश, जिसमें रिट याचिका स्वीकार की गई थी, को चुनौती दी गई है।

2. मामले के तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रत्यर्थी प्रारंभ में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 'स्टेनोग्राफर' के रूप में नियुक्त किए गए थे और सुसंगत समय पर प्रत्यर्थी संख्या 1 स्टेनोग्राफरों की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 1 पर था। मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन और छत्तीसगढ़ नए राज्य के गठन के बाद, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रत्यर्थीगण की सेवाओं को उनकी पसंद के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित कर दिया गया। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य में प्रत्यर्थीगण की सेवाएं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, अधिकारियों और कर्मचारियों भर्ती और सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील और आचरण) नियम, 1996 द्वारा शासित थीं और जब तक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2003 (इसके बाद 'नियम, 2003'), दिनांक 01.10.2003 से प्रभावी हुए, तब तक ये उक्त नियमों द्वारा शासित रहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. पात्र स्टेनोग्राफरों के निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.05.2001 को बुलाई गई। नियम, 2003 के नियम 8 के अनुसार निजी सचिव का पद योग्यता सह-वरिष्ठता के आधार पर निजी सहायकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक है, हालांकि, सुसंगत समय पर प्रत्यर्थीगण में से कोई भी निजी सहायक के रूप में कार्यरत नहीं था, लेकिन उन्हें निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया। विचार के बाद, विभागीय पदोन्नति समिति ने प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 के नाम निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए अनुशंसित किए। हालांकि, चूंकि उस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अर्थात् अंग्रेजी आशुलिपि की 100 शब्द प्रति मिनट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र नहीं था, इसलिए यह अनुशंसा की गई कि आवश्यक न्यूनतम योग्यता शिथिल की जा सकती है और उसे अनंतिम रूप से इस शर्त पर पदोन्नत किया जा सकता है कि उसे दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और केवल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उसके मामले पर नियमित पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 को निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 को उपरोक्त शर्त के अधीन दिनांक 24.05.2001 के आदेश द्वारा निजी सचिव के पद पर अनंतिम रूप से पदोन्नत किया गया।

4. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आवश्यक न्यूनतम योग्यता अर्थात् 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, दिनांक 20.08.2001 को प्राप्त किया और प्रमाण पत्र प्रत्यर्थीगण के साथ प्रस्तुत किया और इसलिए, दिनांक 01.10.2002 के आदेश द्वारा उसकी पदोन्नति को दिनांक 20.08.2001 से अर्थात् उस तारीख से जिस दिन उसने आवश्यक योग्यता प्राप्त की, नियमित कर दिया गया। बाद में, दिनांक 06.01.2004 को पुष्टिकरण आदेश पारित किया गया जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को निजी सचिवों की सूची में सबसे नीचे रखा गया।

5. वरिष्ठता सूची में अपनी निम्नस्थिति से आहत होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण के लिए दिनांक 14.01.2004 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया लेकिन उसे दिनांक 16.02.2004 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अभ्यावेदन के अस्वीकरण से आहत होकर, प्रत्यर्थी

संख्या 1 ने रिट याचिका दायर की और विद्वान न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कि याची (यहां प्रत्यर्थी संख्या 1) की निजी सचिव के रूप में की गई निरंतर सेवा को बाद में आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के आधार पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसे स्वीकार कर लिया गया।

6. अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अनंतिम पदोन्नति के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि केवल अंग्रेजी आशुलिपि का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले पर नियमित पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा और तदनुसार, अनंतिम पदोन्नति आदेश को आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की तारीख अर्थात् दिनांक 20.08.2001 से नियमित किया गया था, और प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 19.08.2003 को निजी सचिव के पद पर पुष्ट किया गया था। यह आगे तर्क दिया गया है कि सेवा में कोई वास्तविक नियुक्ति के बिना निजी सचिव के पद पर अनंतिम पदोन्नति/नियुक्ति, सुसंगत नियमों के द्वारा वरिष्ठता प्रदान नहीं करेगी क्योंकि वरिष्ठता कोई मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि केवल एक वैधानिक अधिकार है जो निर्भर करता है सेवा नियमों की मौजूदा और वैधानिक योजना पर और इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 को उस दिनांक से पदोन्नति और वरिष्ठता का दावा करने से रोका जा सकता है जब उसके पास आवश्यक योग्यता नहीं थी। आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पदोन्नति पर योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर विचार किया गया था और पदोन्नति के लिए विचार के समय प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 के पास प्रत्यर्थी संख्या 1 से बेहतर योग्यता थी क्योंकि उस दिनांक को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति थी, जबकि अन्य प्रत्यर्थीगण के पास 100 शब्द प्रति मिनट की योग्यता थी। अंत में, यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कोई विवाद नहीं उठाया जब उसे दिनांक 01.10.2002 के आदेश द्वारा नियमित पदोन्नति दी गई थी जिसमें विशेष रूप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से उल्लेख किया गया था कि उसकी अनंतिम पदोन्नति दिनांक 20.08.2001 से प्रभावी रूप से नियमित की गई है, हालांकि, जब दिनांक 06.01.2004 को पुष्टिकरण का परिणामिक आदेश पारित किया गया जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को सूची में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 से नीचे रखा गया, तब उसके द्वारा विवाद उठाया गया और इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने पक्ष में लिये गए विवेकाधिकार के संबंध में इतने विलंब से विवाद उठाने का हकदार नहीं था।

7. विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को दी गई पदोन्नति न तो तदर्थ पदोन्नति थी और न ही बिना किसी पद के या अनंतिम व्यवस्था के विरुद्ध थी, उसे मौजूदा नियमों को शिथिल करते हुए एक स्थायी रिक्त पद के विरुद्ध पदोन्नत किया गया था। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के पदोन्नति आदेश पर कोई शर्त लगाई गई है, तो विधि की एकमात्र आवश्यकता यह है कि निर्धारित अवधि के भीतर उसे शर्त पूरी करनी चाहिए अन्यथा विभाग के पास विधि और नियमों के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार है। इसलिए, एक कर्मचारी जिसे किसी भी कैडर में पदोन्नत किया जाता है, वह पदोन्नति के क्रम के अनुसार अपनी परस्पर वरिष्ठता के लिए हकदार है न कि उस दिनांक से जब वह शर्त पूरी करता है। आगे तर्क दिया गया है कि केवल दिनांक 6.1.2004 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को वरिष्ठता की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान के बारे में पता चला और केवल उसके बाद उसने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करके अपनी शिकायत उठाई जिसे एक संक्षिप्त आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और उसके बाद रिट याचिका दायर की गई।

8. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना हैं और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. हमारे समक्ष निर्धारण के लिए प्रश्न यह है कि निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए, क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 की वरिष्ठता उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से गिनी जानी चाहिए, या उस तारीख से जब उसने आवश्यक योग्यता अर्थात् 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त किया?

10. यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 की वरिष्ठता उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से गिनी जानी चाहिए, और उक्त तारीख से निरंतर पद पर कार्य किये जाने को वरिष्ठता निर्धारित करने का मानदंड अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 वरिष्ठ होगा। हालांकि, यदि वरिष्ठता को आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की तारीख अर्थात् 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि उत्तीर्ण करने की तारीख से गिना जाना चाहिए, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 वरिष्ठ होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. नियम, 2003 का भाग-**IV** विभिन्न श्रेणी-**II** पदों पर नियुक्ति के स्रोत और विधि से संबंधित है और भाग-**IV** का नियम 5 (2) निजी सचिव की नियुक्ति के स्रोत और विधि विहित करता है जो इस प्रकार है:

"निजी सचिवः स्थापना के स्टेनोग्राफरों से पूर्णरूप से योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, इस शर्त के अधीन कि स्टेनोग्राफर ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण की हो।"

12. नियम, 2003 का नियम 22 शिथिलता की शक्ति से संबंधित है, जो इस प्रकार है:-

"22. शिथिलता की शक्ति-

(i) इन नियमों में कुछ भी ऐसा नहीं समझा जाएगा जो मुख्य न्यायाधीश की स्थापना के कर्मचारियों के साथ ऐसे तरीके से निपटने की शक्तियों को सीमित या संकुचित करता हो जो उसे न्यायोचित और उचित प्रतीत हो।

(ii) जहां मुख्य न्यायाधीश संतुष्ट हो कि इन नियमों में से किसी का क्रियान्वयन किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई पैदा करता है वह आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह आवश्यक समझे, विशेष नियम को अभिमुक्त कर सकता है या शिथिल कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतुक, इस शर्त के साथ कि जहां कोई नियम स्थापना के किसी कर्मचारी पर लागू होता है, उसके मामले के साथ उक्त नियमों द्वारा प्रदत्त की तुलना में उसके प्रतिकूल तरीके से व्यवहार नहीं किया जाएगा।"

13. नियम 5 (2) का पठन मात्र यह स्पष्ट कर देता है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र का होना निजी सचिव का पद ग्रहण करने के लिए एक आवश्यक योग्यता है। यह नियम यह भी स्पष्ट करता है कि पदोन्नति के लिए विचार "योग्यता सह-वरिष्ठता" पर आधारित है।

इसके अलावा, नियम 22 कहता है कि जहां मुख्य न्यायाधीश संतुष्ट हो कि नियम, 2003 के किसी भी नियम का विचारण किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई पैदा करता है, वह आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह आवश्यक समझे, विशेष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियम को छोड़ सकता है या शिथिल कर सकता है। नियम 22 का परंतुक प्रदान करता है कि जहां कोई नियम स्थापना के किसी कर्मचारी पर लागू होता है, उसके मामले के साथ उक्त नियमों द्वारा प्रदत्त की तुलना में उसके प्रतिकूल तरीके से व्यवहार नहीं किया जाएगा।

14. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जिस तारीख को प्रत्यर्थीगण के निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के मामले पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई गई थी, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 के पास अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति थी लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास उक्त गति नहीं थी और इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 को निजी सचिव के रिक्त स्थायी पद पर पदोन्नति पर नियुक्त किया गया था, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस शर्त पर अनंतिम पदोन्नति दी गई थी कि वह दो वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारित आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लेगा। उक्त आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि केवल उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उस पर नियमित पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त योग्यता दिनांक 20.08.2001 को प्राप्त की और इसलिए, अपीलार्थी संख्या 1 ने दिनांक 01.10.2002 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 20.08.2001 से दो वर्ष की अवधि के लिए निजी सचिव के पद पर स्थानापन रूप में पदोन्नति पर नियुक्त किया। इसके बाद, दिनांक 6.1.2004 के आदेश द्वारा यहां प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 को दिनांक 24.05.2003 से प्रभावी रूप से निजी सचिव के पद पर पुष्ट किया गया है और प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 19.08.2003 से प्रभावी रूप से पुष्ट किया गया है और तदनुसार वरिष्ठता सूची में रखा गया है| निजी सचिवों की वरिष्ठता सूची में उक्त स्थिति से असंतुष्ट होकर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और अभ्यावेदन के अस्वीकृत होने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

15. **बैजनाथ बनाम सेक्रेटरी, मराठवाड़ा मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल [(2006) 6 Mah. L. J. 682]** में प्रकाशित किए गए प्रकरण में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की दो युगल पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में एक विरोध देखा गया था क्योंकि एक युगल पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता डी.एड. योग्यता प्राप्त करने के तारीख की परवाह किए बिना सेवा में शामिल होने की तारीख और निरंतर स्थानापन्न के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, जबकि दूसरी युगल पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वरिष्ठता के उद्देश्य के लिए, प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख पर विचार करना आवश्यक है लेकिन उन शिक्षकों के लिए जो ऐसी नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हैं। विद्वान न्यायाधीशों ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की वरिष्ठता डी.एड. योग्यता प्राप्त करने की तारीख से गिनी। इसलिए, प्रकरण पूर्ण पीठ के पास भेजा गया और बॉम्बे उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश का उत्तर देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है:

> "प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक (पदोन्नति द्वारा) के पद पर नियुक्ति के लिए, शिक्षक की वरिष्ठता उस दिनांक से गिनी जानी चाहिए जब वह एम.ई.पी.एस. नियमों की अनुसूची "बी" के द्वारा निर्धारित शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यताएं प्राप्त करता है। वरिष्ठता को प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख और अनुसूची "बी" में निर्धारित आवश्यक योग्यता से रहित निरंतर कार्यवाहकता से नहीं गिना जा सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **शीतला प्रसाद शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [AIR 1986 SC 1859]** में प्रकाशित किए गए प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है:-

"10. एक कर्मचारी को दूसरों के सापेक्ष वरिष्ठता का दावा करने से पहले उसे एक ही वर्ग से संबंधित होना चाहिए। जो कानूनी और नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की वर्ग से संबंधित है, उसे उन लोगों से मुकाबला नहीं करना पड़ता है जो कभी भी उस वर्ग से संबंधित नहीं थे, क्योंकि उनकी नियुक्ति अनियमित तरीके से हुई थी। जिन्हें अनियमित रूप से नियुक्त किया गया है, वे एक अलग वर्ग से संबंधित हैं, और उन लोगों के सापेक्ष वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं जिन्हें नियमित और उचित रूप से नियुक्त किया गया है, जब तक कि उनकी नियुक्तियां नियमित नहीं हो जातीं या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमित नहीं कर दी जातीं जिसके परिणामस्वरूप उनके वर्ग नियमित वर्ग में शामिल हो जाती है। उस संगम बिंदु पर, नियमित वर्ग में शामिल होने के बिंदु से, वे नियमित वर्ग में बाद में शामिल होने वालों के सापेक्ष वरिष्ठता का दावा कर सकते हैं। नियमित वर्ग में देर से आने वाले नियमित कतार में पहले आने वालों पर बढ़त नहीं बना सकते। सिद्धांत रूप में इसलिए अपीलार्थी सफल नहीं हो सकते। इसके अलावा, वरिष्ठता के मामलों में न्यायालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार जैसा अधिकार नहीं चलाता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने सद्भाव से कार्य किया है और निष्पक्षता और न्यायसंगत व्यवहार के सिद्धांतों पर कार्य किया है। ऐसे मामले में जहां स्थिति को शासित करने वाला कोई नियम या विनियम नहीं है या जहां एक है, लेकिन उसका उल्लंघन नहीं किया गया है, न्यायालय तब तक निर्धारण को उलट नहीं देगा जब तक कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऐसा न करना अनुचित न हो। किसी भी वाद-विषय से, अपीलार्थी जो नियमित वर्ग से भी संबंधित नहीं था, उसे केवल अनियमित और अनधिकृत रूप से पढ़ाने की अनुमति दी गई थी" और वैध रूप से नियुक्त व्याख्याताओं की वर्ग से भी संबंधित नहीं था, वह अपने स्वयं के वर्ग में शामिल होने से पहले ही वर्ग में मौजूद किसी भी व्यक्ति के सापेक्ष वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एकदम सही है।"

17. **शंकर देव आचार्य एवं अन्य बनाम विश्वनाथ चक्रवर्ती एवं अन्य [(2007) 1 SCC 309]** में प्रकाशित किए गए प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति में 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' के मानदंड पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"39. जब योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत लागू किया जाता है, तो अब यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि योग्यता और क्षमता पर अधिक जोर दिया जाता है और वरिष्ठता कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वरिष्ठता को केवल तभी महत्व दिया जाना चाहिए जब योग्यता और क्षमता लगभग बराबर हों..."

18. हम वर्तमान मामले के तथ्यों का उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों के आलोक में विचारण करने का प्रस्ताव करते हैं। वर्तमान मामले में, नियम, 2003 में निर्धारित निजी सचिव के पद पर पदोन्नति का मानदंड 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' है और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करना पदोन्नति के लिए आवश्यक है। यह आक्षेपित नहीं है कि जिस तारीख को डी.पी.सी. बुलाई गई थी, प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास अंग्रेजी आशुलिपि का

उत्तीर्ण प्रमाण पत्र नहीं था, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 के पास यह था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पदोन्नति के लिए विचार के समय, प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास आवश्यक योग्यता नहीं थी और वह उसके बाद उसके द्वारा प्राप्त की गई थी और इसलिए, उस तारीख से पदोन्नति के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 का दावा, जब उसके कनिष्ठों को पदोन्नति दी गई थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी योग्यता पर भूतलक्षी प्रभाव से विचार नही किया जा सकता है। इस दृष्टि में हम एक निर्णय से समर्थित हैं में दिया गया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पुरन दास बनाम भारत संघ एवं अन्य [(2006) 3 SCC 97**] में प्रकाशित है, जहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "पदोन्नति के लिए विचार के समय नियमों के द्वारा आवश्यक बुनियादी योग्यता न होने के कारण- अपीलार्थी द्वारा बाद में योग्यता प्राप्त करना उसे पदोन्नति का हकदार नहीं बनाएगा क्योंकि उसकी योग्यता पर भूतलक्षी प्रभाव से विचार नहीं किया जा सकता है।"

19. इसके अलावा, अब यह एक सुस्थापित सिद्धांत है, जैसा कि **शंकर देव आचार्य (पूर्वोक्त)** में अभिनिर्धारित किया गया है, कि जब योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत लागू किया जाता है, तो योग्यता और क्षमता पर अधिक जोर दिया जाता है और वरिष्ठता एक कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वरिष्ठता को केवल तभी महत्व दिया जाना चाहिए जब योग्यता और क्षमता लगभग बराबर हों, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले में नदारद है, क्योंकि किसी भी तरह से उसे प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 के बराबर नहीं कहा जा सकता है, जिनके पास पदोन्नति के लिए विचार के समय 100 शब्द प्रति मिनट की अंग्रेजी आशुलिपि गति थी, और प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इसलिए, यह सुरक्षित रूप से यह माना जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6, जिनके पास पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जाने के समय आवश्यक योग्यता थी, की परिवीक्षा उनकी पदोन्नति पर नियुक्ति के तुरंत बाद शुरू हो गई थी, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 की परिवीक्षा केवल तब शुरू हुई जब उसने आवश्यक योग्यता प्राप्त की क्योंकि उसकी योग्यता पर भूतलक्षी प्रभाव से विचार नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह नहीं कहा जा सकता कि अनंतिम रूप से पदोन्नत व्यक्ति पदोन्नतिक पद को वास्तविक रूप से या नियमित रूप से ग्रहण कर रहा था क्योंकि उस समय उसके पास पद ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता नहीं थी और अनंतिम पदोन्नति देना समिति की दया थी और उस आधार पर, उसे उन लोगों के बराबर कोई लाभ नहीं मिल सकता है जिनके पास पदोन्नति के लिए ऐसे चयन के समय न्यूनतम आवश्यक योग्यता थी।

21. प्रत्यर्थी संख्या 1 को दी गई शिथिलता के संबंध में, यह सच है कि मुख्य न्यायाधीश नियम, 2003 के नियम 22 के द्वारा आदेश द्वारा विशेष नियम को उस सीमा तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह आवश्यक समझे, छोड़ सकते हैं या शिथिल कर सकते हैं, लेकिन, इस नियम को यह अर्थ लेने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है कि इस नियम के द्वारा लाभ प्रदान करते समय, लाभार्थी को उस व्यक्ति के मुकाबले लाभ में रखा जा सकता है जो अन्यथा योग्य है और उसे शिथिलता की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले में मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की गई शिथिलता की शक्ति केवल उसे अनंतिम पदोन्नति दे सकती है लेकिन उसकी नियुक्ति केवल तभी नियमित की जा सकती थी जब वह आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लेता। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास पदोन्नति के लिए विचार के समय आवश्यक योग्यता नहीं थी, उस तारीख से पदोन्नति के लिए उसका दावा, जब उसके कनिष्ठों को पदोन्नति दी गई थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस वाद-विषय के लिए, हमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने **के. बालाराम राजू बनाम सुब्रह्मण्य राम [(2011) 13 SCC 574]** में प्रकाशित किए गए प्रकरण में एक निर्णय का समर्थन प्राप्त है, जहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक योग्यता न रखने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता के निर्धारण और उन्हें यह प्राप्त करने के लिए समय देने के संबंध में प्रश्न से निपटते हुए यह अभिनिर्धारित किया है:-

> "………अयोग्य उम्मीदवारों को अनुमति देने के लिए ऐसी कोई भी शिथिलता योग्य उम्मीदवारों के प्रतिकूल नहीं हो सकती है। उन्हें सेवा में लिया जा सकता है लेकिन योग्य और चयनित उम्मीदवारों पर बढ़त नहीं बना सकते।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उपरोक्त विचार-विमर्श के लिए, हमारा यह सुविचारित मत हैं कि निजी सचिव के पद पर पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए, एक व्यक्ति के पास विचार के समय आवश्यक योग्यता अर्थात् 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति जिसके पास आवश्यक योग्यता नहीं है, उसे कानूनी रूप से पदोन्नति पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। चूंकि दिनांक 20.08.2001 तक प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास निजी सचिव का पद ग्रहण करने का हकदार बनाने वाली आवश्यक योग्यता नहीं थी, इसलिए इस अवधि के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निजी सचिव के रूप में प्रदान की गई सेवाएं वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए गिनने योग्य नहीं होंगी।

23. परिणामस्वरूप, रिट अपील स्वीकार की जाती है, विद्वान न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका क्रमांक 947/2006 में दिनांक 11.12.2006 को पारित आदेश को एतद द्वारा अपास्त किया जाता है और रिट याचिका क्रमांक 947/2006 को

कोई बल नहीं रहने के कारण ख़ारिज किया जाता है। वाद व्यय पर कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-
डॉ. आई. एम. कुद्दूसी,
न्यायाधीश

सही/-
जी.मिन्हाजुद्दीन,
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : ANKIT SHRIVAS